"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2012—अग्रहायण 8, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 द्वारा राज्य के जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई नक्सलवादी एवं पुलिस मुठभेड़ व आगजनी की घटना की न्यायिक जांच के लिये विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है, आयोग द्वारा तीन माह के भीतर राज्य शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जानी थी.

2. निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2011 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह एवं अधिसूचना दिनांक 18-11-2011 द्वारा पुन: छ: माह तथा दिनांक 10-05-2012 द्वारा पुन: छ: माह की समयवृद्धि की गई थी. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह (दिनांक 12-11-2012 से दिनांक 11-02-2013 तक) की और समयवृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.